

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 फरवरी 2015—माघ 15, शक 1936

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2015

क्र. एफ. 2-22-2009-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. देव राज बिरदी, आय.ए.एस. (से.नि.) को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

उपरोक्त नियुक्ति विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82, 84, 85, 86, 89 एवं 90 में उल्लेखित निबंधनों के अधीन होगी. आयोग के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों) नियम, 2000 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.